अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

4.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता दो संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर, पर जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

4.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2021–22 के दौरान, 75 जिलों में से भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, के 13 जिला खान अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जाँच में रॉयल्टी कम/नही वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 439.99 करोड़ धनराशि के 3,588 मामले प्रकाश में आये, जैसा कि **सारणी–4.1** में वर्णित है।

सारणी–4.1

क्र0सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	रॉयल्टी न वसूल किया जाना	61	119.06
2	खनिज मूल्यों की वसूली न किया जाना	10	23.83
3	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	40	6.20
4	शास्ति का अनारोपण	203	7.03
5	अन्य अनियमिततायें[1]	3,274	283.87
योग		**3,588**	**439.99**

4.3 पट्टा निरस्तीकरण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

विभाग ने पट्टाधारक द्वारा रॉयल्टी एवं अन्य देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण पट्टे को तत्काल निरस्त नही किया तथा पट्टे का पुर्नस्थापन नहीं किया जिससे ₹ 14.18 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 28(2)(1) एवं (4) प्रावधानित करते हैं कि निविदा/नीलामी की किश्तों की धनराशि चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक निर्धारित की जायेगी। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58(1) प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टाधारक पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा

[1] जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में अंशदान लाइसेंसधारियों/पट्टेधारकों से वसूल न होना, पट्टेधारकों/ईंट भट्ठा मालिकों आदि द्वारा रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज नही वसूला जाना।

समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टाधारक से ऐसे देयों को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट, नियमावली, 2017 के नियम 10(2) के अनुसार उप खनिज के मामले में प्रत्येक खनिज परिहार/अनुज्ञा पत्र धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त जिला जिसमे खनन संक्रियायें जारी हो, के ट्रस्ट को ऐसी धनराशि का भुगतान करना होगा जो रॉयल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर हो या ऐसी हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

इस प्रकार, खनन पट्टों की रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान का भुगतान शासन को त्रैमासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता, तब पट्टा निरस्त किया जा सकता है एवं रॉयल्टी की वसूली नियमों के अनुसार भू राजस्व के बकाया की तरह की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने डीएमओ फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2022) की और देखा कि राज्य सरकार एवं मैसर्स क्लासिक इन्फ्रावेंचर एलएलपी (पट्टाधारक) के मध्य 13 जनवरी 2019 को एक समझौता किया गया था, जहाँ राज्य सरकार ने खनन कार्य के लिए ग्राम अधवल, फतेहपुर गाटा संख्या ए 11 में पाँच वर्ष के लिए 40.48 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। पट्टाधारक को पहले वर्ष के लिए ₹ 8,09,600 घनमीटर मौरम प्रति वर्ष खुदाई के लिए ₹ 306 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक था और बाद के वर्षों में पट्टा विलेख में प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करना था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पट्टाधारक ने प्रतिभूति की राशि के रूप में ₹ 6.14 करोड़ जमा किये (5 मई 2018) तथा प्रत्येक की रॉयल्टी की पहली किश्त अनूसूची के अनुसार जमा की। हालाँकि, पट्टाधारक द्वारा 1 अप्रैल 2019 और 1 जुलाई 2019 को देय ₹ 6.19 करोड़ की दूसरी एवं तीसरी किश्त के भुगतान में चूक की गयी। केवल ₹ 55.00 लाख का आंशिक भुगतान किया गया था (सितम्बर 2019 एवं अक्टूबर 2019 के मध्य)। पट्टाधारक ने आगे 1 अक्टूबर 2019 को देय ₹ 6.19 करोड़ की चौथी किश्त के भुगतान में चूक की। इस प्रकार, बिना भुगतान के अवशेष राशि ₹ 18.03 करोड़ थी।

जिला खान अधिकारी (डीएमओ) एवं जिलाधिकारी (डीएम) फतेहपुर ने क्रमशः 24 अप्रैल 2019 एवं 28 मई 2019 को नोटिस जारी किया लेकिन पट्टाधारक ने दूसरी किश्त जमा नही की। जिला प्राधिकरण ने 16 अगस्त 2019 (दूसरी किश्त की बकाया राशि के लिए) और 14 जनवरी 2020 (बाद की किश्तों की बकाया राशि के लिए) पट्टाधारक के खिलाफ देरी से वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। विभाग ने तीसरी किश्त के प्रति आंशिक भुगतान का समायोजन किया क्योंकि दूसरी किश्त की चूक के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका था। अंततः डीएम द्वारा 3 जनवरी 2020 को लीज रद्द कर दी गयी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यद्यपि पट्टाधारक को ₹ 1.85 करोड़ के बकाया डीएमएफटी अंशदान और ₹ 49.55 लाख के स्रोत पर संग्रह (टीसीएस) राशि के भुगतान के लिए 10 सितम्बर 2020 को नोटिस जारी किया गया था, तथापि पट्टाधारक के विरूद्ध कोई वसूली प्रमाण पत्र जारी नही किया गया। इस प्रकार, पट्टाधारक द्वारा ₹ 11.83 करोड़ की रॉयल्टी, ₹ 1.85 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान तथा ₹ 49.55 लाख की टीसीएस की राशि जमा नही की गई।

पट्टाधारक द्वारा 1 अप्रैल 2019 को देय दूसरी किश्त के भुगतान में चूक के बाद सम्बन्धित डीएमओ एवं डीएम पट्टा रद्द करने में विफल रहे और पट्टे का पुर्नस्थापन करने में विफल रहे। 14 जनवरी 2020 को जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र को 10 जून 2021 को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिये गए थे कि न तो पट्टाधारक के भागीदार वसूली प्रमाण पत्र में उल्लिखित पते पर पाए गए थे और न ही उनके नाम पर कोई सम्पत्ति पाई गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4.4 नियामक ढांचे में रिक्तता

मौजूदा नियामक ढांचे के तहत, चूँकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए, खनन क्षेत्रों के मामलों में खनिज की कीमत को परिभाषित नही किया गया है, इसलिए यह जिला अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो रॉयल्टी के अध्याय III की दरों को अपनाए या नीलामी के माध्यम से खोजी गई खनिज की कीमत की दरों को काम में ले। परिणामस्वरूप, पट्टाधारक कभी–कभी अवैध खनन के लिए वैध निकासी के लिए देय राशि के मुकाबले कम दण्ड का भुगतान करता है, इस प्रकार अवैध खनन को प्रोत्साहित करता है।

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गये उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसकी कीमत और उस अवधि के लिये जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है।

सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में, स्पष्ट किया है कि 'खनिजों का मूल्य' सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना है। रॉयल्टी की दरें उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में परिभाषित की गयी है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 57, यह प्रावधानित करता है कि जो कोई भी नियम 3[2] के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोष सिद्ध हो जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ₹ 25,000 तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। दिनांक 18 मई 2017 के आदेश द्वारा सरकार ने उक्त नियम के अर्थदण्ड के प्रावधानों में संशोधन किया कि कारावास जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिये न्यूनतम ₹ दो लाख एवं अधिकतम ₹ पाँच लाख तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23(1) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिये जाने की घोषणा कर सकती है। अग्रेतर, नियम 23 (3), यह प्रावधानित करता है कि ऐसी घोषणा पर, अध्याय III[3] के उपबन्ध उस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार, किसी भी अवैध खनन के लिये राज्य सरकार खनिज या उसके मूल्य और प्रासंगिक रॉयल्टी की वसूली कर सकती है। अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड मई 2017 में बढ़ा दिया गया था। जिन क्षेत्रों को नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिये अधिसूचित किया गया है, उनके लिये अध्याय III में रॉयल्टी दर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा ने नीलामी के द्वारा व्यवस्थिति अधिसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में शास्ति प्रावधानों का दो परिदृश्यों के अन्तर्गत विश्लेषण कियाः (क) नीलाम किये गये क्षेत्रों में और (ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अवैध खनन। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं:

---

[2] खनन कार्य इन नियमों के तहत दिए गए पट्टा या खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

[3] रॉयल्टी और अपरिहार्य भाटक के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधान।

(क) नीलाम किये गये खनन पट्टा क्षेत्रों के मामलों में 'खनिज मूल्य' परिभाषित न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23 (3) यह प्रावधानित करता है कि नीलाम किये गये क्षेत्रों के लिये अध्याय III लागू नहीं होगा। अध्याय III निर्धारित करता है कि खनिजों की रॉयल्टी खनिज के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके आधार पर खनिज मूल्य को साधारणतया रॉयल्टी का पाँच गुना माना जाता हैं। चूंकि नीलाम के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामलों में अध्याय III लागू नहीं है, ऐसे मामलों में अवैध खनन के मामले में खनिज मूल्य निर्धारित करने के बारे में अस्पष्टता है। यह जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो अध्याय III की दरों या नीलामी के माध्यम से खोजी गयी दरों को अपनाएं।

(ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों या नीलाम किये गये क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में अवैध खनन के लिये आरोपित रॉयल्टी, 'खनिज मूल्य' एवं अर्थदण्ड की अपर्याप्त मात्रा

लेखापरीक्षा ने चार जि0खा0का0[4] के अभिलेखों[5] की नमूना जाँच (नवम्बर 2021 एवं मार्च 2022 के मध्य) की और देखा कि 13 मामलों में से सात में जहाँ नीलामी के माध्यम से पट्टे दिये गये थे, जिला अधिकारियों के जाँच दल ने सात पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के आस–पास के क्षेत्रों में 61,769 घ0मी0 उप खनिजों (बालू/मौरम/गिट्टी) के अवैध खनन की सूचना दी थी। विवरण **सारणी–4.2** में दिया गया है:

सारणी–4.2: अवैध उत्खनन का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	पट्टा क्षेत्र	पट्टा/परमिट की अवधि	प्रतिवर्ष खुदाई की जाने वाली मात्रा (घ0मी0 में)	रॉयल्टी की दर प्रति घ0मी0 में (₹ में)	रिपोर्ट के अनुसार पट्टा क्षेत्र के आसपास अवैध रूप से उत्खनित बालू की मात्रा (घ0मी0 में)	अवैध खनन के लिए उठाई गई अतिरिक्त मांग (₹ में)
1.	मे0 शुभ कंस्ट्रक्शन प्रो. शशि देवी, 168/19, नोनिया मोहल्ला, जिला बाँदा	ग्राम–सलेमपुर, तहसील मोठ, जिला–झाँसी, अराजी नंबर–321गा0, क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर	16.01.2021 से 15.01.2026	50,000	952	2,885	25.97 लाख
2.	मे0 सागर ब्रिक फील्ड	ग्राम–रूसाई सैदपुर, तहसील–चायल, जिला–कौशाम्बी, खंड संख्या 8/3 से 8/4 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर	01.05.2020 से 30.04.2025	3,60,000	155	25,364	2.38 करोड़
3.	श्री केशरी नंदन सिंह	ग्राम–कतरी, तहसील–मंझनपुर, खंड संख्या 14/11 से 14/12 क्षेत्रफल 10.46 हेक्टेयर	20.12.2018 से 19.12.2023	4,85,000	315	10,746	1.12 करोड़
4.	मे0 रिषभ हर्बल प्रा0 लिमिटेड	ग्राम–दिया, तहसील–मंझनपुर, खंड संख्या 11/15 से 11/16 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर	11.04.2018 से 10.04.2023	3,60,000	181	19,600	1.81 करोड़
5	मे0 रत्ना जादोन ई–7, एम 708 अरेरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0)	ग्राम–अधवल, तहसील–फतेहपुर, जिला–फतेहपुर, क्षेत्रफल 25.00 हेक्टेयर	06.11.2020 से 05.11.2025	2,50,000	400	50	0.45 लाख

[4] डीएमओ–फतेहपुर, झाँसी, कौशाम्बी एवं सोनभद्र।

[5] पट्टा पत्रावलियाँ।

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	पट्टा क्षेत्र	पट्टा / परमिट की अवधि	प्रतिवर्ष खुदाई की जाने वाली मात्रा (घ0मी0 में)	रॉयल्टी की दर प्रति घ0मी0 में (₹ में)	रिपोर्ट के अनुसार पट्टा क्षेत्र के आसपास अवैध रूप से उत्खनित बालू की मात्रा (घ0मी0 में)	अवैध खनन के लिए उठाई गई अतिरिक्त मांग (₹ में)
6	मे0 सी0 एस0 इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रबंध निदेशक श्रीमती पुष्पा सिंह	ग्राम–बिल्ली मारकुंडी, तहसील–रार्बट्सगंज, सोनभद्र, अराजी संख्या 7536 गा0 (मि) खंड–3, क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर	06.11.2020 से 05.11.2030	40,000	3,000	608	5.84 लाख
7	मे0 साईं राम एन्टरप्राइजेज साझीदार श्री चन्द्र भूषण गुप्ता	ग्राम–बिल्ली मारकुंडी, तहसील–ओबरा, सोनभद्र, अराजी संख्या 7536 गा (मि), खंड–1, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर	05.10.2020 से 04.10.2030	49,700	3,010	2,502	24.27 लाख
योग							**₹ 5.88 करोड़**

जिला प्राधिकारियों ने अवैध खनन की मात्रा की गणना की और अवैध खनन के लिये कुल ₹ 0.93 करोड़ रॉयल्टी, ₹ 4.65 करोड़ 'खनिज मूल्य' एवं मात्र ₹ 30.25 लाख[6] शास्ति का मांग पत्र जारी किया (जून 2018 और जून 2021 के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने जिलाधिकारी द्वारा वास्तविक आरोपित अर्थदण्ड की मात्रा एवं नीलामी द्वारा खोजी गयी दरों के आधार पर तुलना की। विवरण नीचे **सारणी–4.3** में दिया गया है।

सारणी–4.3: आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि का विश्लेषण

(₹ लाख में सिवाय स्तम्भ 4 और 9 के)

क्र0सं0	पट्टाधारक का नाम	अवैध रूप से खनन की गयी मात्रा (घ0मी0 में)	जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित					नीलामी द्वारा बोली गयी दर के आधार पर (लेखापरीक्षा द्वारा आगणित)				
			रॉयल्टी की दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग	रॉयल्टी की बोली गयी दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. (1 प्रकरण)	मे0 शुभ कंस्ट्रक्शन प्रो. शशि देवी, 168 / 19 नोनिया मोहल्ला जिला बाँदा	2,885	150	4.33	21.64	0.00	**25.97**	952	27.46	137.33	5.00	**169.79**
2. (2 प्रकरण)	मे0 सागर ब्रिक फील्ड	25,364	150	38.05	190.23	10.00	**238.28**	155	39.31	196.57	10.00	**245.88**
3. (3 प्रकरण)	श्री केशरी नंदन सिंह	10,746	150	16.12	80.60	15.00	**111.71**	315	33.85	169.25	15.00	**218.10**
4. (2 प्रकरण)	मे0 रिषभ हर्बल प्रा0 लिमिटेड	19,600	150	29.40	147.00	5.00	**181.40**	181	35.48	177.38	10.00	**222.86**
5. (1 प्रकरण)	मे0 रत्ना जादोन ई–7, एम 708 अरेरा कोलोनी भोपाल (म0प्र0)	50	150	0.075	0.38	0	**0.45**	400	0.20	1.00	5.00	**6.20**
6. (1 प्रकरण)	मे0 सी0 एस0 इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रबंध निदेशक–श्रीमती पुष्पा सिंह	608	160	0.97	4.86	0	**5.84**	3,000	18.24	91.20	5.00	**114.44**

[6] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963।

(₹ लाख में सिवाय स्तम्भ 4 और 9 के)

क्र0सं0	पट्टाधारक का नाम	अवैध रूप से खनन की गयी मात्रा (घ0मी0 में)	जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित					नीलामी द्वारा बोली गयी दर के आधार पर (लेखापरीक्षा द्वारा आगणित)				
			रॉयल्टी की दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग	रॉयल्टी की बोली गयी दर (प्रति घ0मी0)	रॉयल्टी	खनिज मूल्य	अर्थदण्ड	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7. (1 प्रकरण)	मे0 साईं राम एन्टरप्राइजेज साझीदार श्री चन्द्र भूषण गुप्ता	2,502	160	4.00	20.02	0.25	**24.27**	3,010	75.31	376.55	5.00	**456.86**

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा निम्न निर्दिष्ट है:

(i) अवैध खनन के लिये दण्डात्मक मांग उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय III में दी गयी रॉयल्टी की दरों पर आधारित थी जो नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरों से काफी कम थी। इस प्रकार, जब अध्याय III में दी गयी मौरम की रॉयल्टी की दरें ₹ 150 और गिट्टी (डोलोस्टोन) की ₹ 160 तक थी, नीलामी के माध्यम से बोली गयी दरें मौरम ₹ 155 से ₹ 952 और गिट्टी (डोलोस्टोन) की ₹ 3,000 से ₹ 3,010 के बीच थी। अध्याय III की दरों के आधार पर, इन पट्टेधारकों से मौरम के लिये केवल ₹ 0.45 लाख से ₹ 2.38 करोड़ और गिट्टी (डोलोस्टोन) के लिए ₹ 5.84 लाख से ₹ 24.27 लाख के बीच की राशि की मांग की गयी। तथापि, यदि नीलामी की दरों पर विचार किया जाता तो इन सात पट्टेधारकों को ₹ 6.20 लाख से ₹ 4.57 करोड़ की दण्डात्मक राशि का भुगतान करना पड़ता। इसलिये यद्यपि नीलामी क्षेत्रों या पड़ोसी क्षेत्रों में विभिन्न पट्टेधारकों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, विनियमों ने बहुत कम दरों पर रॉयल्टी एवं 'खनिज मूल्य' आरोपित करने की अनुमति दी गई।

(ii) पट्टेधारकों (सारणी 4.3 का क्रमांक 6 और 7 देखें) ने बिना रॉयल्टी दिए उन्हें नीलाम किए गए पट्टा क्षेत्र से खनिज निकाले। हालाँकि, अवैध खनन के लिए लगाया गया जुर्माना नीलाम किए गए पट्टा क्षेत्र से वैध खनन के लिए देय राशि से कम था, इस प्रकार अवैध खनन को प्रोत्साहित किया गया।

(iii) यद्यपि अर्थदण्ड आरोपित करना आवश्यक था और प्रत्येक मामले में अधिकतम ₹ पाँच लाख प्रति हेक्टेयर था, यह देखा गया कि केवल सात मामले में जिला अधिकारियों ने मात्र ₹ 30.25 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जबकि छः मामलों में कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार के मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.4 में और उत्तर प्रदेश सरकार के मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.3 में इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूचना दी गई थी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4.5 पट्टेधारकों द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में खनिज का मूल्य नहीं लगाया जाना

पट्टेधारकों द्वारा बिना प्रपत्र एम0एम0 11 के खनिज के अवैध परिवहन के प्रकरणों में ₹ 11.92 करोड़ के खनिजों का मूल्य आरोपित एवं वसूल नही किया गया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002, प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (प्रपत्र एम0एम0–11[7] / प्रपत्र सी[8]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[9], 1957, प्रावधानित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 70(1) सपठित धारा 4(1–ए) और खा0 एवं ख0 (वी0 और वी0) अधिनियम की धारा 21 (1 से 5) उसके द्वारा पट्टा एवं परमिट धारक या अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी माध्यम से खनिज परिवहन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एमएम–11 में ट्रांजिट पास जारी करता है। अग्रेतर, नियम 70(2) में प्रावधान है कि उपनियम (2) के तहत जारी एमएम–11 प्रपत्र के बिना कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी खनिज का परिवहन नही करेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है, यदि वह दोषी पाया जाता है, तो छः महीने की कैद या ₹ 25,000 का जुर्माना हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी, फतेहपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2022) की और पाया कि दो पट्टेधारकों को मौरम की खुदाई के लिए दो पट्टे आवंटित किये गये थे और अनुबंध राज्य सरकार और पट्टाधारक के बीच (मार्च 2018 और अप्रैल 2018 के बीच) निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशक, भूविज्ञान और खनन के आदेश के अनुपालन में, डीएम फतेहपुर ने मौरम के अवैध उत्खनन के लिए पिछली निरीक्षण रिपोर्ट (जून 2018 में किए गए निरीक्षण) के परिणामों को सत्यापित करने के लिए एक जाँच (सितम्बर 2018) की स्थापना की। जाँच दल ने बताया (अक्टूबर 2018) कि दोनो पट्टेधारकों ने 2,09,514 घनमीटर मौरम का उत्खनन किया जिसमे से ई–एमएम–11 प्रपत्र केवल 1,42,414 घनमीटर के लिए जनरेट किए गए थे। इस प्रकार, 67,100 घनमीटर मौरम को बिना ई–एमएम–11 प्रपत्र जनरेट किए अवैध परिवहन किया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में देखा गया कि दोनों पट्टेधारकों ने मौरम के ओवरलोडिंग को स्वीकार (अक्टूबर 2018) किया लेकिन विभाग ने बिना ई–एमएम–11 प्रपत्रों के मौरम के अवैध परिवहन के लिए खनिज का मूल्य ₹ 11.92 करोड़ नही लगाया। तत्पश्चात्, दोनों पट्टेधारकों ने अक्टूबर 2018 में देय किश्त जमा नहीं की और विभाग ने जमानत राशि जब्त कर (जनवरी 2019 से फरवरी 2019 के बीच) पट्टों को रद्द कर दिया।

इस प्रकार, विभाग ने ₹ 11.92 करोड़ की राशि के खनिज मूल्य की वसूली न करके पट्टेधारकों को अनुचित लाभ पहुँचाया जैसा कि **परिशिष्ट– XXXIX** में दर्शाया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

---

[7] उप खनिजों के परिवहन के लिए खनन पट्टा धारक अथवा क्रेशर प्लान्ट धारक द्वारा जारी ट्रॉजिट पास (रवन्ना) इसमें पट्टाधारक का नाम और पता खनिजों की प्रकृति एवं मात्रा और वाहन का नम्बर जिसके द्वारा खनिज का पारगमन होता है शामिल है।

[8] खनिज के भण्डार हेतु अनुज्ञप्तिधारी भण्डार से खनिजों के वैध परिवहन हेतु प्रपत्र–सी में ट्रांजिट पास जारी करेगा।

[9] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

4.6 रॉयल्टी और प्रतिभूति जमा के भुगतान में विलम्ब के लिए बोली पूर्व बयाना राशि जब्त न किया जाना

जिला खान अधिकारी ने रॉयल्टी एवं प्रतिभूति जमा राशि के भुगतान में विलम्ब के लिए बोली पूर्व बयाना राशि ₹ 3.51 करोड़ जब्त नहीं की।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश[10] दिनांक 14 अगस्त 2017 में प्रावधान है कि गौण खनिजों के लिए पट्टे के प्रत्येक सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त होने के बाद पहले वर्ष की देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत (सुरक्षा जमा के रूप में 25 प्रतिशत और प्रथम किश्त 25 प्रतिशत), एलओआई जारी करने की तारीख से दो कार्य दिवसों के अंदर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से, मेटल स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन (एमएसटीसी)[11] के ई–भुगतान गेटवे पर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई बोली पूर्व बयाना राशि, इस राशि को जमा करने से पूर्व समायोजित की जाएगी। अग्रेतर, यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त राशि को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो उनके द्वारा जमा की गई बोली पूर्व बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और इस सम्बन्ध में किसी भी शिकायत या आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी (जि0खा0अ0) के दो कार्यालयों[12] के अभिलेखों[13] की जाँच की और पाया (जनवरी/मार्च 2022) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों (डीएम) ने चार सफल बोलीदाताओं के पक्ष में (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली में बालू/मौरम के खनन पट्टे के लिए एलओआई जारी किया। बोलीदाताओं को एलओआई निर्गत होने के दो कार्य दिवस के अन्दर ₹ 6.50 करोड़ (पहले वर्ष की देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत) जमा करना आवश्यक था। बोलीदाताओं ने छः से 88 दिनों तक की देरी के साथ आवश्यक धनराशि जमा की किन्तु सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों ने रॉयल्टी और सुरक्षा जमा के भुगतान में देरी के लिए बोली पूर्व बयाना राशि ₹ 3.51 करोड़ को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नही की, जैसा कि **परिशिष्ट–XL** में वर्णित है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4.7 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (जि0ख0फा0ट्र0) में देय अंशदानों को 39 खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.10 करोड़ निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना।

नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं जि0ख0फा0ट्र0 में अंशदान खनन पट्टों पर लागू है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0स्टा0अ0) की अनुसूची I–ख का अनुच्छेद 35 (ख) (एक) प्रावधानित करता है कि जहां लीज 30 वर्ष से अधिक नही हो, किसी जुर्माना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नही है, वहां स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रर्भाय होना चाहिये जो

[10] आदेश का प्रस्तर 19 (2)।
[11] भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ई–नीलामी का सेवा प्रदाता।
[12] फतेहपुर एवं कौशाम्बी।
[13] पट्टा पत्रावलियाँ, लेटर आफ इन्टेन्ट इत्यादि।

ऐसा जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के अनुसार इन पट्टा विलेखों पर 2 प्रतिशत प्रतिफल का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकण (I) कहता है कि जब पट्टाधारक ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का सेस या मकान मालिक के भाग के म्यूनिसिपल रेट्स या टैक्स, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते है, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने की सहमति पट्टाधारक द्वारा की गयी हो, किराये का भाग समझी जायेगी।

अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 33(1) प्रावधानित करती है कि सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी पुलिस अधिकारी के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत होता है कि विलेख यथा विधि स्टाम्पयुक्त नही है, उसे जब्त करेगा।

उत्तर प्रदेश जि0ख0फा0ट्र0 नियमावली, 2017, के नियम 10(2) के अन्तर्गत पट्टेधारकों को रॉयल्टी का 10 प्रतिशत जि0ख0फा0ट्र0 में भी भुगतान करना अनिवार्य है। सरकार ने दिनांक 13 फरवरी 2020 की अधिसूचना[14] के द्वारा भी पूर्व अधिसूचना[15] 8 दिसम्बर 2015 में संशोधन किया और निबंधन फीस को इस तरह के प्रतिफल या मूल्य पर एक प्रतिशत की दर या अभिलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की गणना में जो भी अधिक हो को न्यूनतम ₹ 100 के अधीन, से संशोधित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2021 और मार्च 2022 के मध्य) कि छः[16] जि0खा0का0 में फरवरी 2018 और जनवरी 2022 के बीच पाँच से दस वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित किये गये 39 खनन पट्टा विलेखों में स्टाम्प शुल्क के प्रभार्यता के लिये केवल रॉयल्टी की धनराशि को प्रतिफल में सम्मिलित किया गया था एवं जि0ख0फा0ट्र0 में जमा होने वाले अंशदान को शामिल नही किया गया था। इन पट्टा विलेखों में ₹ 2,176.66 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 62.11 करोड़ प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के विरूद्ध ₹ 1,978.78 करोड़ के प्रतिफल पर ₹ 56.16 करोड़ का स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया था। इस प्रकार, शासन ₹ 4.85 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.10 करोड़ के निबन्धन फीस के कम आरोपण के कारण राजस्व से वंचित रहा।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

4.8 पट्टेधारकों के द्वारा रॉयल्टी जमा नही किया जाना

नौ पट्टेधारको के द्वारा दो जिला खनन कार्यालयों में ₹ 1.73 करोड़ की रॉयल्टी जमा नही की गई।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 28 (2) (1) एवं (4) प्रावधानित करते है कि निविदा/नीलामी की किश्तों की धनराशि चतुर्थ अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक निर्धारित की जायेगी। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 58 (1) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य सरकार को देय रॉल्यटी सहित पट्टे के अर्न्तगत कोई देय राशि अथवा अपरिहार्य भाटक नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर पट्टाधारक को नोटिस देने के बाद खनन पट्टा निर्धारित कर सकता है, यदि ऐसे भुगतान के लिये नियत तिथि के बाद इसे 15 दिनों के अन्दर जमा

[14] संख्या 02/2020/127/94-स्टाम्प निबन्धन -2-2020-700(74)/15।

[15] संख्या 30/2015/1430/94-स्टाम्प निबन्धन -2-2015-700(74)/15।

[16] फतेहपुर, झाँसी, कौशाम्बी, ललितपुर, शाहजहाँपुर और सोनभद्र।

नहीं किया गया हो। यह अधिकार पट्टाधारक से ऐसे देयों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा।

इस प्रकार, खनन पट्टों की रॉयल्टी का भुगतान शासन को त्रैमासिक/मासिक आधार पर किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसा नही किया जाता तब पट्टा निरस्त किया जा सकता है एवं रॉयल्टी की वसूली नियमों के अनुसार भू राजस्व के बकाया की तरह की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने जिला खान कार्यालयों गोंडा एवं ललितपुर में 35 पट्टा विलेखों की लीज फाइलों की नमूना जाँच की और पाया (नवम्बर 2021 एवं मार्च 2022) कि नौ पट्टेधारकों ने अप्रैल 2019 और जनवरी 2022 के बीच देय ₹ 2.68 करोड़ की देय रॉयल्टी की राशि का भुगतान पट्टा विलेख की अनूसूची के अनुसार जमा नहीं की थी। पट्टाधारक मैसर्स अराध्या इंटरप्राइजेज गोंडा, के केवल एक मामले में सरकार ने दिसम्बर 2021 में ₹ 1.79 करोड़ की देय रॉयल्टी के विरूद्ध ₹ 95.14 लाख की प्रतिभूति राशि को समायोजित किया। इस प्रकार, पट्टेधारकों के द्वारा ₹ 1.73 करोड़ की रॉयल्टी जमा नही की गई थी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा भी इन देय राशियों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2021)। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।